न्यायालय उपखण्ड अधिका

दावा / 2015

यरा दिनांक 07.10.2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19-1-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। ~~अन्य कार्य~~ मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 2-3-22 को पेश हों।
2-3-22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वकील वादी की बहस वाद-पत्र एकपक्षीय सुनी गई- बहस समाप्त पत्रावली को जरिये वास्ते निर्णय 16-3-22 को पेश हो
16-3-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उप. आदेश सुनाया गया। वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

84 / दावा / 2015
दायरा दिनांक 07.10.2015

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा (RAS)

बउनवान

1. गंगाराम गोद पुत्र छितर उर्फ सीताराम जाति बेरवा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 हाल नि0 पावर हाउस के पास डी0सी0एम0 कोटा(राज0)।

– वादी

बनाम

1. मांगीलाल आ. गोपाल जाति बैरवा निवासी कोटाखुर्द हा0 नि0 रेलवे स्टेशन लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
2. जमनाशंकर आ0 नाथूलाल जाति बैरवा कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. बनवारी आ0 नाथूलाल जाति बैरवा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4. रामकुवांर आ0 नाथूलाल जाति बैरवा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
5. लक्ष्मणलाल आ0 नाथूलाल जाति बैरवा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
6. सन्तोषवाई पुत्री नाथूलाल पत्नी महावीर जाति बैरवा निवासी जाडला हा0नि0हाथीदुम्बा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
7. कल्याणी वेवा नाथूलाल जाति बैरवा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
8. चतुर्भुज आ0 रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
9. महावीर आ0 नाथूलाल जाति बैरवा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
10. प्रहलाद आ0 रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
11. साहबलाल आ0 रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
12. नाथूलाल आ0 रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

13. हरजी आ0 भैरूलाल जाति बैरवा निवासी गैंतारोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
14. मूर्तिबाई पुत्री भैरूलाल जाति बैरवा निवासी मेदपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
15. मोत्या बाई बेवा भैरूलाल जाति बैरवा नि0 मेदपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
16. सुन्दरबाई पत्नी नाथूलाल जाति बैरवा निवासी कोटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
17. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी।
18. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर जर्ये शाखा प्रबंधक शाखा के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट0।
उपस्थित :— 1. श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट (वादी)।

—: निर्णय :—

दिनांक :— 16.03.2022

वादी द्वारा एक दावा इस प्रकार का प्रस्तुत किया गया है कि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 अनुसार वाके ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी स्थित खसरा संख्या 378 रकबा 0.88 हैक्ट0, वादी के दत्तकग्रहिता पिता छीतर पुत्र माधो व प्रतिवावदी संख्या 8,10,11 लगायत 16 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है।उक्त आराजी में वादी के दत्तकग्रहिता पिता छीतर पुत्र माधो का हिस्सा 1/6 था।वादी समाज में प्रचलित प्रथा एवं नियमानुसार छीतर पुत्र माधो के गोद लिये जाने से एवं गोदग्रहिता माता पिता का स्वर्गवास हो जाने से संदर्भित विवादित आराजी में 1/6 हिस्से का स्वतः ही खातेदार कृषक बन चुका है एवं मौके पर हिस्से अनुसार काबिज काश्त है परन्तु वादी के अन्यत्र निवास करने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 9 ने मृतक सहखातेदार गोपाल का वादी को पुत्र बताकर फौती नामान्तकरण उसके नाम भी खुलवा लिया जबकि वादी का मृतक गोपाल को भूमि में कोई हक नही है क्योंकि वो गोपाल एवं उनकी धर्मपत्नी द्वारा नाबालिक अवस्था में ही छीतर पुत्र माधोलाल को गोद दिया जा चुका है।मृतक सहखातेदार गोपाल के हिस्से की 1/6 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 9 द्वारा प्रतिवादी संख्या 16 को पजींकृत विक्रय—पत्र से बेचान करवा दिया गया।वादी के द्वारा विक्रय—पत्र का पजीयन करवाते समय प्रतिवादी संख्या 16 से कोई प्रतिफल राशि नही ली गयी सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 9 ने प्राप्त की थी।गोपाल के हिस्से में वादी का कोई हक नही था न ही वादी मौके पर काबिज था।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

विवादित आराजी के सहखातेदार छीतर की मृत्यु हो जाने पर वादी दत्तक पुत्र [illegible] में उनके 1/6 हिस्सा का नामान्तकरण स्वंय के नाम करवाना चाहता है पर इस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ने आपत्ति करते हुए मना किया।इसलिए वाद विषयक आराजी में सहखातेदार छीतर आ. माधों का हिस्सा 1/6 के स्थान पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे छीतर आ0 माधो का नाम विलोपित किया जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया है।प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस एक पक्षीय सुनी अधिवक्ता वादी ने वाद में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय अनुसार एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी के यहां पूर्व में दर्ज वाद संख्या 8/07 निर्णय दिनांक 02.07.2008 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6 8 ने अपने जवाब में गंगाराम दत्तक पुत्र श्री छीत्या उर्फ सीताराम होना स्वीकार किया है।उक्त प्रतिवादीगण वर्तमान वाद में भी प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 10,11 व नाथूलाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के रूप मे दर्ज है।

पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन करने के बाद पाया कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा ने अपील संख्या 72/2008 में निर्णय दिनांक 16.06.2014 में पैरा संख्या 9 में गोदनामा प्रदर्श 6 प्रस्तुत करना अकिंत किया एवं पैरा संख्या 11 में इस गोदनामा को एडोप्शन एक्ट की धारा 07 के अनुसार वैघ मानते हुए वादी गंगाराम को छीत्या उर्फ सीताराम का गोदीपुत्र माना है एवं गोदपुत्र की हैसियत से गंगाराम को स्व.छीत्या उर्फ सीताराम के द्वारा छोडी गयी सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी माना है।उच्चस्थ न्यायालय द्वारा वादी गंगाराम के छीत्या उर्फ सीताराम के गोदीपुत्र होने सबंधी निष्कर्षात्मक निर्णय के बाद पुनः इस विषय की विवेचना न्यायालय हाजा द्वारा किया जाना उचित नही है।वादी छीत्या उर्फ सीताराम के गोदीपुत्र होने के सबंध में कुछ प्रतिवादीगण के माननीय राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में दिये गये इकबालिया बयान से वादी गंगाराम के छीत्या उर्फ सीताराम का गोदीपुत्र होने की पुष्टि होती है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है वादी गंगाराम गोदपुत्र छीतर उर्फ सीताराम जाति बैरवा को ग्राम कोटाखुर्द के खसरा संख्या 373 रकबा 0.88 हैक्ट0 में छीतर आत्मज माधो हिस्सा 1/6 के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया।

पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1. अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी..............................मुकाम.......................लाखेरी.............
................व इजलास.........श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)...

1. गंगाराम गोद पुत्र छितर उर्फ सीताराम जा0 बेरवा नि0... **बनाम**.......1.मांगीलाल आ0 गोपाल जा0 बेरवा नि0
कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 हाल नि0 कोटाखुर्द तह इन्द्रगढ जि0बून्दी हा0नि0
पावर हाउस के पास डी0सी0एम0कोटा राज0 रेल्वे स्टेशन लाखेरी तह0इन्द्रगढ(बून्दी)

2.जमनाशंकर आ0 नाथूलाल जा0बैरवा नि0 कोटाखुर्द तह इन्द्रगढ जि0बून्दी राज0।
3.बनवारी आ0नाथूलाल जा0बैरवा नि0 कोटाखुर्द तह0इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4.रामकुंवार आ0 नाथूलाल जा0बैरवा नि0 कोटाखुर्द तह0इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
5.लक्ष्मणलाल आ0 नाथूलाल जा0बैरवा नि0 कोटाखुर्द तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
6.सन्तोषबाई पुत्री नाथूलाल पत्नी महावीर जा0बैरवा नि0 जाडला हा0नि0हाथीदुग्घा तह0इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
7.कल्याणी बेवा नाथूलाल जा0बैरवा नि0 कोटाखुर्द तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
8.चतुर्भुज आ0 रामचन्द्र जा0बैरवा नि0 कोटाखुर्द तह0इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
9.महावीर आ0 नाथुलाल जा0बैरवा नि0 कोटाखुर्द तह0इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
10.प्रहलाद आ0 रामचन्द्र जा0बैरवा नि0 कोटाखुर्द तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज।
11.साहबलाल आ0 रामचन्द्र जा0 बैरवा नि0 कोटाखुर्द तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
12.नाथूलाल आ0 रामचन्द्र जा0 बैरवा नि0 कोटाखुर्द तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
13.हरजी आ0 भैरूलाल जा0 बैरवा नि0गेंता रोड इटावा तह0पीपल्दा जि0 कोटा राज0
14.मूर्तिबाई पुत्री भैरूलाल जा0बैरवा नि0 मेंदपुरा तह0 तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
15.मोत्याबाई बेवा भैरूलाल जा0 बैरवा नि0 मेंदपुरा तह0 तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0।
16.सुन्दरबाई पत्नी नाथूलाल जा0 बैरवा नि0 कोटा तह0इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

17.राज0सरकार जर्ये तहसीलदार
इन्द्रगढ जिला बून्दी राजC।
18.स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड
जयपुर जर्ये शाखा प्रबंधक शाखा
के0पाटन जिला बून्दी राज0

दावा बाबत ..88, 89,188 आर0 टी0 एक्ट..

मुकदमा नम्बर.......................**84/दावा/2015**...............................सन...यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..हमरे...व हाजिरी

1.श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट ....। मिनजानिब मुद्दई रूबरू...मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है।

कि वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है वाद विषयक अराजी खसरा संख्या 373 रकबा 0.88 हैक्ट0 वाके ग्रम कोटाखुर्द में सहखातेदार छीतर आ0 माधो का हिस्सा 1/6 को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादी गंगाराम गोदपुत्र छीतर उर्फ सीताराम को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

..........निज..मुबलिग...बाबत..खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **.....16.माह.. ..03.........सन...2022.....**.......... ....को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर **ओहदा**

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.वावत इजराय हुक्मनामा		
7.वावत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner